राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 17 / 2026 6–ए

सरकार जरिये श्री सुरेश कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक भीलवाडा –प्रार्थी	बनाम	कन्हैयालाल पुत्र रामेश्वर दास वैष्णव, निवासी माल का खेडा आसीद फर्म कार्मिक श्री कृष्ण मिष्ठान माण्डल चौराहा भीलवाडा –अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित दवित पेट्रोलियम गैस कन्ट्रोल ऑर्डर 2000 के तहत अधिग्रहित 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 28 के.जी. एलपीजी गैस, 01 गैस भट्टी राजसात करने बाबत्।

उपस्थित –

1. विभागीय पक्ष, प्रार्थी की ओर से
2. अप्रार्थी स्वयं

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक :– 01 / 05 / 2026

प्रार्थी द्वारा 6–ए का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 11 के तहत लोक सेवक की परिभाषा में आता है। घरेलू गैस सिलेण्डरों के दुरूपयोग व अवैध गैस रिफिलिंग से जान माल व राजस्व हानि को रोकने हेतु अभियान के तहत दिनांक 16 / 03 / 2026 को जिला रसद अधिकारी भीलवाड़ा के नेतृत्व में श्री सुरेश कुमार प्रवर्तन अधिकारी एवं श्री विनोद मीना प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा माण्डल चौराहा स्थित श्रीराम कृष्ण मिष्ठान का औचक निरीक्षण किया गया। मौके पर कन्हैयालाल पुत्र श्री रामेश्वर दास वैष्णव निवासी माल का खेड़ा आसीन्द जिला मीलवाडा उपस्थित मिले जिन्होंने स्वयं को उक्त फर्म का मिठाई बनाने वाला होना बताया। मौके पर 03 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये। वक्त निरीक्षण श्रीराम कृष्ण मिष्ठान भण्डार पर एक घरेलू गैस सिलेण्डर भट्टी से जुड़ा पाया गया। फर्म मिष्ठान भण्डार पर चाय–नमकीन व मिठाई बनाने का कार्य किया जाता है। इस प्रकार घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक कार्य में उपयोग कर आरोपी श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री रामेश्वर दास वैष्णव निवासी माल का खेड़ा आसीन्द जिला भीलवाडा द्वारा एलपीजी ऑर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 / 7 के तहत दण्डनीय अपराध किया जाना पाया गया। फलस्वरूप श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री रामेश्वर दास वैष्णव निवासी माल का खेड़ा आसीन्द जिला भीलवाड़ा के कब्जे से 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 28 के.जी. एलपीजी एवं 01 गैस भट्टी को जब्त सरकार किया जाकर मैसर्स कान्हा इण्डेन गैस भीलवाड़ा के कार्मिक श्री नारायण गुर्जर पुत्र श्री गगना गुर्जर निवासी

1-5-26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

कोलीखेडा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा को संभलाया गया। अतः कार्यवाही सम्बन्धी पत्रादि प्रस्तुत कर निवेदन है कि श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री रामेश्वर दास वैष्णव निवासी माल का खेड़ा आसीन्द जिला भीलवाड़ा के कब्जे से जब्त किये गये **03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 28 के.जी. एलपीजी एवं 01 गैस भट्टी** को राजसात करने का आदेश फरमायें। चूंकि प्रकरण के अन्तिम निस्तारण में समय लगना स्वाभाविक है तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस ज्वलनशील, उडनशील एवं विस्फोटक पदार्थ है एवं गैस भट्टी आदि के खराब होने की संभावना है. अतः प्रकरण में अन्तरिम निस्तारण का आदेश भी फरमायें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए। प्रार्थी की ओर से विभागीय पक्ष उपस्थित, अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। प्रथम गलती मानते हुए क्षमा प्रार्थना हेतु विपक्षी ने निवेदन किया गया।

विवेचन उपरान्त पाया गया कि प्रस्तुत किए गए फर्द मौका की छायाप्रति अनुसार विपक्षी द्वारा अवैध एवं अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस का अन्य रूप से कार्य किया जाकर एल.पी.जी. आर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया जाना सिद्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्त सरकार किये गये **03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 28 के.जी. एलपीजी गैस, 01 गैस भट्टी** को राजसात किया जाना युक्तियुक्त है। अतएव –

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है एवं जब्त सरकार किये गये जब्तशुदा **03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 28 के.जी. एलपीजी गैस, 01 गैस भट्टी** को राजसात किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भीलवाडा को प्रेषित की जावे। जिला रसद अधिकारी भीलवाडा उक्त जब्तशुदा सामग्री का अन्तिम निस्तारण कर जरिये निलामी (बाजार दर से कम नही होना चाहिये) राशि राजकोष में जमा करा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

1-5-26

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा